XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2001–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 43/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 8–11–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक संजय कुमार द्वारा दिनांक 18–12–12 को कराए गए सीमांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर कब्जा दिलाए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक एवं अन्य अनावेदकों को तलब किया गया । अनावेदक कमांक 1 द्वारा पुनः 5–2–13 को आवेदन दिया गया जिसमें लेख किया गया कि अनावेदक हरीशंकर द्वारा गड्डे खोदकर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोका जाये । तहसीलदार, लटेरी ने आलोच्य आदेश दिनांक 23–2–13 द्वारा आवेदक एवं अन्य अनावेदकों को कार्य रोकने हेतु पत्र जारी करने के निर्देश दिए तथा प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया । तहसीलदार के इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में राजस्व न्यायालय को निर्माण कार्य रोकने का अधिकार नहीं है । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें कब और किस तरह से बेदखल किया है । 4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 5.3.15 को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमिस्वामी की भूमि पर अवैध आधिपत्य के संबंध में है । भूमिस्वामी ने विपक्षी द्वारा अवैध आधिपत्य कर गड्ढे खोदकर निर्माण करने का उल्लेख किया है और उसे रोकने हेतु निवेदन किया जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर पटवारी से प्रतिवेदन लेकर वादित भूमि पर आवेदकों या अन्य कोई व्यक्ति को निर्माण कार्य रोकने हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है । अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश न्यायसंगत आधार पर होकर उचित और प्रकिया के अनुसार है । उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नही है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

R. 2001- PBR/13

प्र0क्रं0

हरिशंकर आ0 बाबूलाल जाति- शर्मा
आयु वयस्क निवासी वार्ड क्रं0 8 लटेरी
जिला- विदिशा । ----- प्रार्थी

-विरुद्ध --

1- संजयकुमार आ0 रमेशचन्द, वयस्क
2- बन्नेखां आ0 हमीद खां, वयस्क
दोनों नि0 लटेरी ।
3- गोविन्द आ0 रामगोपाल अग्रवाल
आयु- वयस्क नि0 सिरोंज रोड लटेरी
4- बृजेश आ0 शिवचरण जोगी , वयस्क
नि0 काछी मोहल्ला लटेरी ।
5- रमेश आ0 मथरालाल आयु-वयस्क
जाति-ब्राह्मण नि0मैन बाजार लटेरी।
6- रोहित आ0रमेश अग्रवाल, वयस्क
नि0मैन रोड लटेरी जि0विदिशा। ----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू रा0सं0 1959 विरुद्ध आदेश दि0 23/2/13 जो प्र0क्रं0 1/अ-70/12-13 में न्याया0 श्रीमान तहसीलदार महो0 तह0लटेरी जि0विदिशा द्वारा पारित कियागया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

- तथ्य-

1- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क्रं0 1 व 2 द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-250 म0प्र0भू रा0सं0 1959 का तहसील न्याया0 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लटेरी स्थित भूमि खसरा क्रं0 297/4, 297/5 रकबा क्रमशः 0.110, 0.110 अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है। जिसका सीमांकन दि0 18/12/12 को कराया गया। जिस पर